भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3104

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग हेतु कच्ची सामग्री

3104. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात उद्योग कच्चे माल अर्थात् कोयले और लोह अयस्क की निरंतर आपूर्ति की उपलब्धता से संबंधित अनिश्चितताओं से जूझ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा विश्वस्तरीय, लागत प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार इस्पात उद्योग निर्माण के लिए विद्यमान इस्पात इकाइयों और ग्रीन-फील्ड संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/उपाय करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): भारतीय इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री अर्थात् लौह अयस्क की माँग को देश में हो रही स्वदेशी आपूर्ति से पूरा किया जाता है, जबकि कोकिंग कोयला की माँग को मुख्यतया आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ख): सरकार का ध्यान कोयले के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने तथा इन लक्ष्यों को अधिक कोयला ब्लॉक के आवंटन के माध्यम से प्राप्त करने, भूमि अधिग्रहण के मामले में सहायता के लिए राज्य सरकारों के साथ मामलों को उठाने और रेलवे के साथ समन्वित प्रयास करने पर केन्द्रित है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से नए आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉक के मामले में कोयले की बिक्री के लिए कोयला उत्पादन के 25% की बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है। सरकार द्वारा 100% विदेशी निवेश के एक प्रावधान के द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय ने दिनांक 16.09.2019 के अपने दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को विगत वर्ष में इसके कुल लौह अयस्क उत्पादन के 25% की बिक्री करने तथा सेल की विभिन्न कैप्टिव खदानों में पड़े हुए निम्न ग्रेड के लौह फाइंस और अयस्कों (स्लाइम सहित) के 70 मिलियन टन (एमटी) के पुराने भंडार का निपटान करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सेल की खदानों ने अप्रैल-दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान लगभग 2.6 एमटी लौह अयस्क (फ्रेश फाइंस = 2.2 एमटी, डंप फाइंस = 0.4 एमटी) उपलब्ध कराया है।

(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। नए इस्पात संयंत्रों/ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के आधुनिकीकरण, विस्तार अथवा स्थापना के संबंध में निर्णय संबंधित कंपनियों द्वारा परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के दृष्टिगत, वाणिज्यिक सोच-विचारों तथा बाजार के समीकरणों के आधार पर लिया जाता है।

****